भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1224

जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

25 अग्रहायण, 1944 (शक)

आधार आईडी की चोरी को रोकने के लिए कानून

1224. श्री नारायण कोरागप्पा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा कानून आधार आईडी की चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कानून को और मजबूत बनाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश और कर्नाटक में आधार आईडी के दुरुपयोग के कितने मामले सामने आए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ । आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रावधान है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पहचान की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि इनके पास या इनके नियंत्रण में निहित जानकारी या नियंत्रण में है और अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमन के तहत अनुमति नहीं दी गई पहुंच के विरुद्ध सुरक्षित और संरक्षित है, समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को अपनाया और लागू किया जा रहा है। यह अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान करता है।

(ख): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के उद्देश्य से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (डीपी डीपीबी) का मसौदा विचाराधीन है।

(ग): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आधार के दुरूपयोग का कोई मामला उसके संज्ञान में नहीं आया है।

*** ***